न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:— 24 / 2024

तारीख रजू :— 02.12.2024

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

मूडया उर्फ मूल्या पुत्र देवीराम आयु 48 साल जाति प्रजापत निवासी जहॉनगर मोरडा तहसील टोडाभीम हाल तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, तहासील टोडाभीम, गंगापुर सिटी राज0
2. कैलाश
3. रमेश
4. शेरसिंह } पि0स देवीराम
5. शांति पत्री देवीराम
6. नेमी
7. मनोहरी
8. मुकेश
9. काडू
10. सुनील } पिस0 मगन पुत्र देवीराम
11. मीरा पुत्री मगन पुत्र देवीराम
12. प्रकाशचन्द
13. शिवदयाल
14. महिपाल } पिस0 मोहनलाल
15. कौशल्या
16. चतरा } पुत्रीया मोहनलाल
17. भौती देवी बेबा मोहनलाल
18. शिवचरण पुत्र बद्री प्रसाद

(क्र. 2 से 18) समस्त जाति प्रजापत निवासी जहॉनगर मोरडा तहसील बालघाट / टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत इन्द्राज राजस्व दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थित :— 1. श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक— 03.02.2026

वाद पत्र संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोरडा के नवीन खाता संख्या 389 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 335 / 4750 रकवा 3 ऐयर,336 रकवा 35 ऐयर, 403 रकवा 15 ऐयर, 404 रकवा 13 ऐयर, 405 रकवा 20 ऐयर, 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.32 है0 जिसमें वादी व प्रतिवादीगण नम्बरा 2 ता 18 शामलाती कब्जे

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

काश्त की आराजी है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 ता 18 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है।

देवीराम फौत

- मगन फौत
  - नेमी
  - मनोहरी
  - मुकेश
  - काडू
  - सुनील
  - मीरा
- रमेश
- मूडया उर्फ मूल्या
- शेरसिह
- कैलाश
- शंति देवी

राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी खाता संख्या 289 में दर्ज भूमि में वाद पत्र में वादी का नाम **मूडया पुत्र देवीराम** दर्ज कर दिया है। जबकि और भाईयों का सही नाम दर्ज किया गया जबकि वादी का सही नाम मूडया पुत्र देवीराम है क्योंकि समस्त सरकारी रिकॉर्ड जैसे वादी का आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक में वादी के नाम मूडया नाम दर्ज है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमावंदी में **मूल्या पुत्र देवीराम** के स्थान पर **मूडया पुत्र देवीराम** दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायासंगत है।

वादी ने दिनांक 19.11.2024 को अपनी भूमि की हाल जमाबंदी निकलवाई तो वादी को मूडया पुत्र देवीराम के स्थान पर मूल्या पुत्र देवीराम दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर वादी उसी दिन तहसीलदार जी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने वादी को सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने की सलाह देने पर पेश किया।

ग्राम मोरडा में स्थित नवीन खाता संख्या 389 में दर्ज खसरा नम्बर 335रु4750 का रकवा 3 ऐयर, 336 रकवा 35 ऐयर, 403 रकवा 15 ऐयर, 404 रकवा 13 ऐयर, 405 रकवा 20 ऐयर, 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर स्थित ग्राम मोरडा जमाबंदी में दर्ज नाम **मूल्या पुत्र देवीराम** के स्थान पर **मूडया पुत्र देवीराम** दर्ज किया जावे

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मु0न0 24/2024

मूडया बनाम तहसीलदार

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 ता 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार बालघाट) जबाव पेश किया राजस्व ग्राम मोरडा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 389 के आराजी खसरा नं0 **335/4750/0.03,336/0.35,403/0.15,404/0.13,405/0.20,406/0.26,407/0.20 कुल किता 7 रकवा 1.32 है0** मूल्या पुत्री देवीराम हि0 1/18 जाति कुम्हार सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता देवीराम पुत्र विशन्या के विरासत का नामा. 1197 स्वीकत दिनांक 08.06.2016 में वादी का नाम मूल्या दर्ज है। जॉच करने पर पाया कि वादी का मुलतः नाम मूडया है एवं वादी के अन्य कागजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र में मुडया पुत्र देवीराम दर्ज है। मुताबिक फर्द मौका एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार मूल्या का सही नाम मूडया है। **मूडया व मूल्या** एक हि व्यक्ति है। अतः मूल्या के स्थान पर सही नाम मूडया किया जाना उचित है

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि नवीन खाता संख्या 389 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 335/4750 रकवा 3 ऐयर,336 रकवा 35 ऐयर, 403 रकवा 15 ऐयर, 404 रकवा 13 ऐयर, 405 रकवा 20 ऐयर, 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.32 है0 में वादी का नाम **मूल्या पुत्र देवीराम** है जबकि सही नाम **मूडया पुत्र देवीराम** है। जबकि बहस दौराने पैरोकार सरकार द्वारा बताया कि वादी के कागजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र में मूडया पुत्र देवीराम है। फर्द मौका एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार मूल्या का सही नाम मूडया है मूल्या व मूडया एक ही व्यक्ति है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया नवीन खाता संख्या 389 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 335/4750 रकवा 3 ऐयर,336 रकवा 35 ऐयर, 403 रकवा 15 ऐयर, 404 रकवा 13 ऐयर, 405

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रकवा 20 ऐयर, 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.32 है0 में वादी का **मूल्या पुत्र देवीराम** है। तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट अनुसार **मूल्या पुत्र देवीराम व मूडया पुत्र देवीराम** एक ही व्यक्ति है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम मोरडा तहसील बालघाट के नवीन खाता संख्या 389 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 335/4750 रकवा 3 ऐयर,336 रकवा 35 ऐयर, 403 रकवा 15 ऐयर, 404 रकवा 13 ऐयर, 405 रकवा 20 ऐयर, 406 रकवा 26 ऐयर, 407 रकवा 20 ऐयर कुल किता 7 कुल रकवा 1.32 है0 में वादी का नाम **मूल्या उर्फ मूडया पुत्र देवीराम** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। उक्त आदेश प्रार्थी द्वारा पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रार्थी स्वंय की होगी।

यह निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली